बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
ऑफिसर्स हॉस्टल ए–ब्लॉक, बेली रोड, पटना।

दूरभाष–0612–2520236
फैक्स –0612–2520232
directorscst@gmail.com

पत्र संख्या–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2013– 1729

प्रेषक,

निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 28.8.14

विषय : अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयो एवं छात्रावासों के लिए आवश्यक सामग्रियों का कय जिला स्तर से किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि वित्तीय वर्ष–2013–14 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अनु0जाति एवं अनु0जनजाति आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में आवश्यक सामग्रियों का कय मुख्यालय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर दर निर्धारित करते हुये सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में किया जायेगा एवं भूगतान मुख्यालय स्तर से जिलों से प्राप्त प्राप्ति रसीद के आधार पर किया जायेगा।

2. उसी कम में विभागीय पत्रांक–2714 दिनांक–18.11.2013, पत्रांक–2911 दिनांक–20.12.13 तथा पत्रांक–235 दिनांक–3.2.2014 के द्वारा आवासीय विद्यालयों में सामानों की आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया है।

3– विभागीय पत्रांक–664 दिनांक–3.4.2014 द्वारा आवासीय विद्यालयों में विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं एवं एजेन्सियों द्वारा आपूर्ति किये गये सामानों के विरुद्ध भुगतान हेतु संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया है।

4– राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कृछ जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा यह सूचना दी गई थी कि कुछ आपूर्तिकर्ता द्वारा कतिपय अत्यावश्यक सामग्रियों की आपूर्ति नहीं की गई है। उक्त आलोक में दिनांक–30/6/2014 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उपलब्ध आवंटन के आलोक में आवासीय विद्यलयों में वैसी सामग्रियां जिनकी आवश्यकता तुरत है, का कय जिला स्तर से नियमानुसार उसी विशिष्टता के उसी दर पर या उससे कम दर पर उपलब्धता के आलोक में कय कर सकते हैं।

5– वैसी सामग्री जिनकी आवासीय विद्यालयों के लिए तुरत आवश्यक की सामग्री यथा–पठन–पाठन सामग्री, वस्त्र, जूता–चप्पल, थाली, गिलास आदि जिनकी आपूर्ति अबतक चयनित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नहीं की गई है उन सामग्रियों का क्रय अपने स्तर से नियमानुसार कर सकते है, बशर्ते कि सामग्रियों की विशिष्टता, गुणवत्ता एवं दर वही होगा जो विभाग द्वारा निर्धारित है। समरुप विशिष्टता एवं गुणवत्ता की सामग्री यदि विभाग द्वारा निर्धारित दर पर या उससे कम दर पर उपलब्ध है तो नियमानुसार अपने स्तर से कय कर सकते है। सामाग्रियों की विशिष्टता एवं गुणवत्ता का निर्धारण डा0 भीमराव अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय गायघाट, पटना में रखे नमूने से किया जा सकता है।

6– आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास के लिए वैसे सामग्री जिनकी आवश्यकता तुरत न हो जैसे कॉट,डेस्क–बैंच,गदद्‌ा,मच्छरदानी आदि के मामले में, अगर आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश आपके स्तर से दिया गया है एवं अबतक आपूर्ति नहीं ली गई है, तो इसके लिए मदवार राशि की आवश्यकता से संबंधित सूचना विभाग को भेजें जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि इसमें पूरे राज्य के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी एवं तदनुसार निर्णय लिया जा सके।

7– सामग्रियों का कय नियमानुसार उपलब्ध राशि के अन्तर्गत ही किया जाये। राशि की कमी हो तो समुचित सूचनाओं यथा– वर्गवार छात्र/छात्रा की संख्या, आवश्यक सामग्री का विवरण, कुल सामग्री की आवश्यकता, मदवार कुल राशि की आवश्यकता, उपलब्ध राशि, शेष राशि की आवश्यकता के संबंध में सूचनायें उपलब्ध कराते हुए राशि की मांग की जाये ताकि तदनुसार आवंटन विमुक्त किया जा सके।

8– विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं/ एजेन्सियों द्वारा विद्यालयों में जो सामग्री आपूर्ति की गयी है , उसके संबंध में संलग्न विवरणी के अनुसार सूचना भी आविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

28/8/14

निदेशक।

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2013– 1729 पटना, दिनांक– 28.8.14

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/8/14

निदेशक।

Leter Director (DS)/1

विवरणी

आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में छात्र/छात्राओं के उपयोग हेतु सामानों की आपूर्ति की विवरणी।

जेला:–　　　　　　　　　　　　विद्यालय/छात्रावास का नाम:–

क0	आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का नाम	आपूर्ति के लिए Placed work order			आपूर्ति की गयी वास्तविक सामग्री			आपूर्ति किये गये सामनों के विरुद्ध लंबित भुगतान की राशि	अभ्युक्ति
		सामग्री का नाम	सख्या	तिथि	नाम	संख्या	तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10